

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: संशोधित आदेश ::

श्रीमती रूक्मणी मेहरा प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहराकंला पं.स. रायपुर जिला पाली कि निलम्बन अवधि 10.03.2021 से 30.03.2021 तक कि अवधि का निर्वाह भत्ता आहरित करने के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/ए-4/रूक्मणी/2021 दिनांक 03.06.2021 में निर्वाह भत्ता आहरित करने का स्थान राउमावि, मोहरा कलां पं0स0 रायपुर जिला पाली के स्थान पर राउमावि, वायद पं0स0 रोहट जिला पांली संशोधित पढा जावें। शेष शर्ते मूल आदेश दिनांक 03.06.2021 के अनुसार यथावत रहेगीं।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 04.06.2021

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/ए-4/रूक्मणी/2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पं.सं. रायपुर जिला-पाली।
2. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पं0स0 रोहट जिला पांली।
3. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहराकंला पं.सं. रायपुर जिला-पाली।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, वायद पं0स0 रोहट जिला पांली।
5. श्रीमती रूक्मणी मेहरा प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, वायद पं0स0 रोहट जिला पांली।
6. अनुभाग अधिकारी विभागीय जांच अनुभाग/रोकड अनुभाग

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर